

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उच्च शिक्षा
हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक 24 सितम्बर 2002

विषय : राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र सेवा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री सेवा/2302/2002-2003 दिनांक 18 जुलाई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को देश में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन करने के लिए अनापत्ति निर्गत करने का अधिकार निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रदान किया गया है। परन्तु विदेश में सेवा हेतु आवेदन करने के लिए शासन की अनुमति पूर्ववत् ली जानी होगी।

2- अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव

अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पदनाम
3. जन्मतिथि
4. वेतनमान
5. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि
6. नियुक्ति का प्रकार- तदर्थ/नियमित अथवा चयनित
7. स्थायी अथवा अस्थायी-
8. विज्ञप्ति संख्या, विज्ञप्ति निर्गत होने का दिनांक एवं अन्तिम तिथि
9. विज्ञापित पद का पदनाम जिसके लिये आवेदन भेजा जा रहा है।
10. रिक्त पदों की कुल संख्या-
11. विज्ञापित पद की शैक्षिक योग्यता/वेतनमान-
12. किन-किन पदों हेतु विज्ञप्ति की गई है-
13. आवेदन पत्र भेजे जाने का प्रता तथा क्रमांक-
14. विज्ञापित पद का अनुभव-
15. पूर्व में आवेदित पदों का विवरण जिनके लिये आवेदन भेजा गया था-
16. क्या अभ्यर्थी ने चयन होने पर वर्तमान पद से त्यागपत्र देने का आश्वासन दिया है यदि नहीं तो विभाग में उसकी स्थिति क्या होगी-
17. अभ्यर्थी के चयन होने पर उसका विभाग में धारणाधिकार लियेन क्या होगा। स्पष्ट आख्या दें-
18. अन्य आवश्यक सूचना यदि कोई हो तो-
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-

आपत्ति/अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के संबंध में प्राचार्य की स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति
दिनांक : प्राचार्य की संस्तुति